UPMB010005252023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोबा।
सत्र वाद संख्या– 178/2023
सरकार बनाम अनिल कुमार आदि,
मु0अ0सं0–235/2022
धारा– 498ए,304बी भा0 द0 सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना कबरई, जिला महोबा।

दिनांक–08.05.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण अनिल व श्रीमती सुनीता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुरलीधर पुत्र गनपत निवासी बौरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा के संबंध में मृत्यु से संबंधित आख्या थाने से आहूत की गयी थी। संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त मुरलीधर पुत्र गनपत निवासी बौरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा की मृत्यु सम्बन्ध में गिरफ्तारी का अधिपत्र पर थाना कुलपहाड़ की रिपोर्ट कागज संख्या 31क/1, ग्राम प्रधान बौरा वि0 खण्ड जैतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज संख्या 31क/ 2 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र कागज संख्या 31क/3 थाना कुलपहाड़ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। साथ ही उक्त कागज प्रस्तुत करने वाले गवाह उपनिरीक्षक दिनेश सिंह का बयान अंकित कराया गया है जो पत्रावली में कागज संख्या 32क दाखिल है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुरलीधर पुत्र गनपत निवासी बौरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा की मृत्यु दिनांक 27.11.2024 को हो चुकी है।

चूँकि उक्त प्रपत्रों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मुरलीधर पुत्र गनपत निवासी बौरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा की मृत्यु हो चुकी है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त **मुरलीधर पुत्र गनपत निवासी बौरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा** के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित (अवेट) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **मुरलीधर पुत्र गनपत निवासी बौरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा** के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित (अवेट) की जाती है। शेष अभियुक्तगण अनिल व श्रीमती सुनीता के सम्बन्ध में पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।

दिनांक–08.05.2025

(श्रीमती सर्वोत्तमा नागेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
महोबा। U.P.-1866

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.05.08 13:01:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court